

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी (क्षे), रेवाड़ी

वन परिसर, कृष्णा नगर, रेवाड़ी दूरभाष/फैक्स: 01274-254568 Email. dforewari2004@gmail.com

क्रमांक: 2271

दिनांक: 15-12-2021

सेवा मे :

प्रधान,
ग्राम सभा-सीहा,
जिला-रेवाड़ी।

विषय : Diversion of 0.2538 ha. of Forest land for Construction of Halt Station/Platform on Delhi-Rewari-Sadulpur Railway line, Ch. no. 101.30 at Village-Siha, under forest Division and District, Rewari.

Online Proposal No.- FP/HR/Rail/146848/2021


सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला का पत्र क्रमांक-D-III-10143/5361 दिनांक-13.12.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति सी.ए. एन.पी.वी एवं अन्य चार्जिज कि राशि आनलाईन चालान जनरेट करके जमा करवाने हेतु प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न)

अतः इस सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि आप भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय कि वेबसाईट www.parivesh.nic.in पर अपनी रजिस्टर्ड यूजर आई.डी. से ऑनलाईन चालान जनरेट करके चालान में अंकित खाते में निम्न विवरणानुसार राशि जमा करवाएं-

Sr.No.	Particulars of Charges	Amount
1	Compensatory Afforestation	366466.12
2	Additional Compensatory afforestation	5771.12
3	Barbed wire fencing	412800
4	Felling	0
5	Supervisory/Overhead/misc. Charges	36646.612
6	Exigency Charges	242853.8196
7	Net Present value	225120.6
8	G. Total	1289659


अतः उपरोक्त अनुसार राशि जमा करवाकर बैंक चालान कि प्रति यूटीआर नम्बर सहित यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजे ताकि स्टेज-II स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।


वन मण्डल अधिकारी,
रेवाड़ी।

पृ० क्रमांक:

दिनांक:

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, रेवाड़ी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रस्तावित साईट पर बिना स्टेज-II स्वीकृति के कार्य न होना सुनिश्चित किया जाए तथा विषयांकित प्रस्ताव में सी.ए साईट का चयन करके जी.पी.एस कोर्डिनेट तथा के.एम.एल फाईल सहित सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजे, अन्यथा किसी प्रकार कि देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। उक्त आदेशों कि दृढता से पालना कि जाएं।


वन मण्डल अधिकारी,
रेवाड़ी।

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10143/5361

दिनांक: 13-12-2021

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषय : Diversion of 0.2538 ha. of forest land for construction of Halt Station/Platform on Delhi-Rewari-Sadulpur Railway Line, Ch. No. 101.30 at Village Siha, under forest division and District Rewari, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Rail/146848/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2895 दिनांक 1-12-2021 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.2538 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।
- (iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।
- (v) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए प्रस्तावित साईट "पट्टी जाडरा डिस्ट्रीब्यूटरी कि०मी० 1-2 के दोनों ओर" 508+8=516 पौधे लगाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है । इसलिए अन्य प्रतिपूर्ति पौधारोपण साईट का चयन करके उसका डी०जी०पी०एस० मैप, के०एम०एल० फाईल व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा । परन्तु 4 पौधे नष्ट होंगे ।
- (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को कम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी बाध्य होगी ।

11-12-2021

- (v) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सही प्रयत्न किए जाएंगे।
- (vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- (vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
- (viii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
- (ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- (xii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी। प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी।
- (xiii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी।
- (xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
- (xv) प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
- (xvi) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी।
- (xvii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- (xviii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (xix) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

Ushankar 11-12-2021
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
 पंचकुला।

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी।
3. प्रधान, ग्राम सभा, सीहा, जिला रेवाड़ी।